



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 17.07.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 217/26 धारा 305ए BNS में नामजद 01 अभियुक्त पवन को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर चोरी किया हुआ एक घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.2026 को थाना बिनौली पर वादी पंकज कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त पवन पुत्र लक्ष्मण द्वारा वादी के चाचा राजेश कुमार के मकान से एक घरेलू गैस सिलेण्डर व 9 हजार रुपये चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 217/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 217/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद 01 अभियुक्त पवन पुत्र लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया हैं, जिसकी निशांदेही पर मुकदमे से संबंधित चोरी किया हुआ एक घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन कम्पनी का बरामद हुआ हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली जनपद बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

पवन पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 33 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त पवन का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 219/22 धारा 60 आबकारी अधि० थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 217/26 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक घरेलू गैस सिलेण्डर इंडेन कम्पनी का 15.8 केजी बरामद हुआ हैं

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
2. है०का० 711 लेखराज थाना बिनौली जनपद बागपत
3. रि०आरक्षी 492 जोगेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 17.07.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/26 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल नं0 DL5SAX5652 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक:- 16.07.26 को थाना खेकड़ा पर वादी अतुल निवासी ग्राम डगरपुर थाना खेकड़ा जिला बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मोटरसाईकिल नं0 DL5SAX5652 चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 245/26 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 245/26 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से

चोरी की हुई 01 मो0सा0 नं0 DL5SAX5652 बरामद हुयी है । जिसके संबंध में थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 245/26 धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस-2023 की बृद्धि की गई ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ पुत्र शमीम निवासी करबा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. है0का0 34 अवधेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-रि0का0 460 पंकज कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 17.07.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बदरखा रोड करबा छपरौली से अभियुक्त यशपाल पुत्र राम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 157/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

यशपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम ककौर कलाँ थाना छपरौली जनपद बागपत ।



बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 सुनील कुमार थाना छपरौली बागपत
- 2-का0 511 धर्मेन्द्र सिंह थाना छपरौली बागपत
- 3-रि0का0 522 आभषक सिकरवार थाना छपरौली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 17.07.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 216/26 धारा 305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदाही पर 02 मोबाइल, 01 चार्जर मोबाइल, 01 ईयर बड्स, 01 हाथ की घड़ी (पीली धातु), 01 जोड़ी कडे (पीली धातु), 01 चूड़ी (पीली धातु), 224 रुपये के सिक्के बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक को थाना खेकडा पर आवेदक विनोद यादव पुत्र हंसनाथ यादव निवासी पट्टी मुण्डाला गजे सिंह का मकान करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सूरज पुत्र सुभाष निवासी नाला पार कैलाशपुरी करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा आवेदक के घर से आवेदक के दो माबईल फोन, एक मंगल सूत्र, कान का कुण्डल, सोने की अँगूठी तथा चांदी के पाँच सिक्के तथा सोने की चैन आदि चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 216/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 216/26 धारा 305(a) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन, 01 चार्जर, 01 ईयर बड्स, 01 हाथ की घड़ी (पीली धातु), 01 जोड़ी कडे (पीली धातु), 01 चूड़ी (पीली धातु), 224 रुपये के सिक्के बरामद हुए हैं एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की वृद्धि की गयी है।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

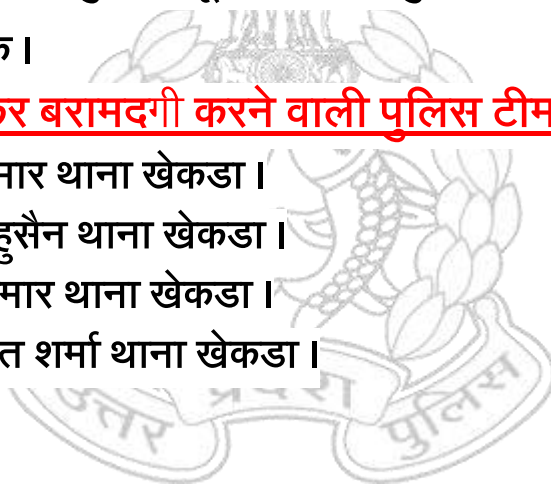
सूरज पुत्र सुभाष निवासी नाला पार कैलाशपुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण:-

- 02 मोबाईल व 01 चार्जर मोबाइल कम्पनी VIVO, 01 ईयर बड कम्पनी ONE PLUS ।
- 01 हाथ की घड़ी (पीली धातु) कम्पनी QUARTZ ।
- 01 जोड़ी कडे (पीली धातु), 01 चूड़ी (पीली धातु) ।
- 224 रुपये के सिक्के ।

अभिरक्षा रिमांड पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकड़ा ।
- 2- उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा ।
- 3- है0का0 299 रामकुमार थाना खेकड़ा ।
- 4- है0का0 189 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही --

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 467/26 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:--- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तसलीम पुत्र जान मौहम्मद निवासी मौहल्ला मौसमखानी वार्ड न0 11 कस्बा किठौर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र 39 वर्ष

बरामदगी का विवरण-(अभि0गण से बरामद)

➤ एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत
2. है०का० 281 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत
3. रि०का० 53 देशराज सिंह थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 465/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया हुआ Tata Ace (छोटा मालवाहक) नं० UP17BT0258 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 16.07.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री अवधेश पुत्र श्री सोपाल सिंह फौजी निवासी टटीरी थाना व जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी के घर के बाहर खड़े टैम्पो रजि० नं०- यू०पी 17 बी०टी००२५८ माँडल 2021 को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 465/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17/07/2026 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु०अ०सं० 465/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल

अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया हुआ Tata Ace (छोटा मालवाहक) नं0 UP17BT0258 बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

गौरव उर्फ इन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ निवासी दरवेशपुर थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- चोरी किया हुआ Tata Ace (छोटा मालवाहक) नं0 UP17BT0258

गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी

- 1-उ0नि0 म0उ0नि0 सीमा सिंह, थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 888 विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-व का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत।

